GOVERNOR'S SECRETARIAT, BIHAR
RAJ BHAVAN, PATNA-800022

NOTIFICATION

Dated

No. BSU(Statute)-07/2020- /GS(1) - the Hon'ble Chancellor, after due consideration of the Draft Statute for New Contributory Pension Scheme as applicable to the employees who are appointed on or after 01-09-2005 in the Universities and their Constituent Colleges prepared by the Statute Committee consisting of three Vice Chancellor viz: Vice Chancellor of Magadh University, Bodh Gaya, Vice Chancellor of Munger University, Munger, Vice Chancellor of Purnea University, Purnea constituted vide Governor's Secretariat, Bihar Notification No.BSU(Statute)-07/2020-338/GS(I), dated 10-02-2020, the opinion of Vice Chancellors of concerned Universities, the opinion of the State Government on the Draft Statute submitted vide Education Department, Govt. Of Bihar letter no.15/पी 1-01/2015-778 dated 06-05-2020 and letter no. 15/पी 1-01/2015-1220 dated 15-07-2020 and in exercise of the powers vested in him under Section 36(7) of the Bihar State Universities Act, 1976 and the Patna University Act,1976 (as amended up-to-date) has been pleased to approve the enclosed Statute (in English & Hindi) for New Contributory Pension Scheme as applicable to the employees who are appointed on or after 01-09-2005 in the Universities and their Constituent Colleges.

By the order of the Hon'ble Chancellor,

Sd/-
(Chaitanya Prasad)
Principal Secretary to Governor

Memo No. AKU-05/2015-1445/GS(1), Dated-07-08-2020

Copy forwarded to:-

1. All the Vice Chancellors, Universities of Bihar—for information
2. The Principal Secretary, Education Department, Bihar, Patna—for information.
3. All the Pro-Vice Chancellors, Universities of Bihar—for information.
4. All the Registrars, Universities of Bihar—for information.
5. The Chairman, University, Grants Commission, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110 002—for information.
6. PSG-cum-PRO/Guard file—for information and necessary action.
7. Copy alongwith copy of Statutes for New Contributory Pension Scheme as applicable to the employees who are appointed on or after 01-09-2005 in the Universities and their Constituent Colleges approved by the Hon'ble Chancellor forwarded to Technical Director, NIC-Cum-In-Charge Computer Cell for uploading on the website of Raj Bhavan.

07/08/2020

(Vinod Kumar Tiwari)
Officer on Special Duty (Judicial)

Statutes for New Contributory Pension Scheme as applicable to the employees who are appointed on or after 01.09.2005 in the Universities and their Constituent Colleges.

Chapter - 1

Preliminary

1. Short title, Scope and Commencement

(i) These statutes may be called New Contributory Pension Scheme Statutes of the Universities recognized under Bihar State Universities Act 1976, Patna University Act 1976.

(ii) The details of the New Contributory Pension Scheme Statutes are spelt out in Rules kept at Chapter 2 & 3.

(iii) The Provisions of these statutes shall be deemed to have come into effect from 01.09.2005.

2. Application

The provision of these statutes shall apply to all teachers, officers and other employees of the University who have been appointed on or after 01.09.2005, by a regular manner on posts sanctioned or approved by the State Government by the due process of appointment.

3. Exclusion

(i) These statutes shall not cover employees appointed on casual, contract, fixed emoluments or on daily basis as also the employees who appointed after superannuation on fixed emoluments.

(ii) The employees covered under these statutes shall not be entitled to get the benefits as prescribed under the Statutes for the grant of retiral benefits as approved by the Governor's secretariat letter no. BSU-52/80-5285 GS (1), dated 18.11.1980 as amended by Letter No. BSU-52/80-2158-GS (1), dated 25.11.1982. So, they will not get pension under old scheme.

(iii) There will not be made and accepted subscriptions according to the General Provident Fund Scheme under these statutes.

राज्यपाल सचिवालय
बिहार, पटना-800022

4. Definitions

In these statutes and the Rules framed there under, unless there is anything repugnant in the subject or context:-

(A) "PFRDA" means the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013)

(B) "NPS" means National Pension System.

(C) "NSDL" means National Securities Depository Limited.

(D) "CRA" means Central Record keeping Agency.

(E) "Chancellor" means the Chancellor of the Universities of Bihar.

(F) "State Government" means the Government of Bihar.

(G) "University" means the Universities recognized under 'Bihar State Universities Act 1976', 'Patna University Act 1976'.

(H) "Vice Chancellor" means the Vice Chancellor of the University.

(I) "Financial Advisor" means Financial Advisor of the University.

(J) "Registrar" means the Registrar of the University or any other person duly appointed to discharge the duties of the Registrar of the University.

(K) "Finance officer" means the Finance officer of the University.

(L) "Year" means the financial year.

(M) "Employee" means any person appointed by the University including teachers, officers (other than contractual) and other staff on or after 01.09.2005.

(N) "Due process of appointment in a regular manner" means an appointment made through a proper selection process after due advertisement of the post, persons having the prescribed qualifications, with due regard to the reservation policy of the State Government.

(O) "Emoluments" means the total emoluments which an employee receives or was receiving as pay every month.

(P) "Family" for the purpose of the New Contributory Pension Scheme means 'Family' as defined by law. The husband/wife or wives, as the case may be, the children of the subscriber and widow or widows of the deceased son of the subscriber shall come under its purview.

Explanation: An adopted child shall also be considered to be child of the subscriber if the Vice Chancellor is satisfied that under the personal law of the

राज्यपाल सचिवालय
बिहार, पटना-800022

Subscriber adoption is legally recognized as conferring the status of the natural child.

(Q) "Fund" means the contribution of the employee & equal share of the State Government.

(R) "Leave" means any kind of leave recognized by the University.

(S) (i) "Pay" for the purpose of these statutes and the Rules made there under means the amount drawn monthly by a person as pay and include dearness pay, special pay, personal pay and deputation pay.

(ii) "Personal pay" means additional pay granted to an employee:

(a) To save him from a loss of substantive pay in respect of a permanent post owing to a revision of pay or due to any other reason otherwise then as a disciplinary measure.

(b) In exceptional circumstances on consideration of any other personal reason(s).

(iii) "Special Pay" means an addition in the nature of pay to the emoluments of a post or of a person granted in consideration of the special arduous nature of his duties or because of specific addition to his work or responsibility.

(T) "Permanent Retirement Account Number (PRAN)" means a unique identification number allotted to each subscriber by the central recordkeeping agency.

(5) General

(i) The Sanction & mode of payment of the benefits admissible under these statutes shall be regulated by such procedural instructions not repugnant to these statutes, as may be issued by the University in this behalf from time to time.

(ii) As and when the State Government amends its rules relating to the new contributory pension scheme in respect of its own employees, such amendments shall be deemed to have been incorporated automatically in these statutes as

राज्यपाल सचिवालय
बिहार, पटना-800022

well with effect from the same date as they are brought in, by the government with respect to its own employees.

(6) Interpretation

If any question arises relating to the statutes interpretation, it shall be referred to the Chancellor whose decision(s), directions and clarifications thereon shall be final.

Chapter – 2

Rules to regulate the retiral benefits under New Contributory Pension Scheme of the employees who have been appointed on or after 01.09.2005

2.1 University employees who are appointed in a regular manner on or after 01.09.2005 on the posts sanctioned or approved by the State Government shall be governed by the rules as framed under the new contributory pension scheme statutes of University.

2.2 The University has to be registered with the National Securities Depository Limited (NSDL) as DTA, DTO and Drawing & Disbursing Officer (DDO).

(i) V.C has to be registered as overview Nodal Officer DTA.

(ii) F.O has to be registered as Fund transfer DTO.

(iii) Registrar has to be registered as DDO.

2.3 The University shall fill-up the Performa on letter pad for making operational of New Contributory Pension Scheme (NCPS) duly signed by the authorized person and send it to Pension Fund Regulatory & Development Authority (PFRDA), its copy to National Securities Depository Limited (NSDL-CRA).

2.4 The University shall give a consent letter for accepting the Rules and Regulating issued by Pension Fund Regulatory & Development Authority (PFRDA) relating to New Contributory Pension Scheme.

2.5 National Securities Depository Limited (NSDL) i.e. Central Record keeping Agency (CRA) will send a bill to the University for rendering the service of registration of employees covered under the New Pension Scheme, transfer of fund & maintenance of record and the institution will pay the same to the National Securities Depository Limited (NSDL) i.e. Central Record keeping Agency (CRA).

राज्यपाल सचिवालय
बिहार, पटना-८00022

2.6 The University will send the proforma S-1 duly filled & signed by subscribers directly to National Securities Depository Limited (NSDL) i.e. Central Record Keeping Agency (CRA) for registration of the employees of New Pension Scheme of the University.

2.7 The subscription will be made from the University employees' salary from the next month of their joining.

2.8 Subscription of contribution is 10% of the total of basic pay and dearness allowance will be made from the monthly salary bill of the employees of the University and equal share of the employer will be contributed by the University.

2.9 The procedure of registration, fund transfer & maintenance of record will be the same which are laid down/adopted by the State Government.

Chapter-3

Regarding exit and condition of withdrawals purpose, frequency & limits under the National Pension System.

3.1 Regarding in service withdrawal and post retiral withdrawal, the provisions notified by the PFRDA will be applicable.

3.2 Regarding purchase of pension plan from annuity service providers the provisions of PFRDA will be applicable.

3.3 The withdrawal application in prescribed format by PRADA will be completely filled by the employee and will be sent to CRA-NSDL through DDO and PAO.

Chapter-4

Regarding GPF & Death cum Retiral Gratuity

4.1 If the General Provident Fund (GPF) subscription is made for those who joined on or after 01.09.2005 then after registration under National Securities Depository Limited Central Recordkeeping Agency (NSDL-CRA), the account of the subscribed amount with its interest will be updated and made according to the statutes of New Contributory Pension Scheme.

4.2 Death-Cum-Retiral Gratuity will also be admissible according to the old pension rules to the University employees who covered under New Contributory Pension

राज्यपाल सचिवालय
बिहार, पटना-800022

Scheme as per memo no. वि० (27) पें० को० 67/2016/622 dated 28.08.2017 of Finance Department Government of Bihar.

Chapter-5

Miscellaneous

5.1 50 paise and above will be rounded off for next rupees and less than 50 paise will be left out for calculation of 10% of the Contribution.

5.2 Detail information as required in the Proforma (Appendix-'B') regarding the employee(s) who are covered under New Contributory Pension Scheme will be submitted to the University by the Head of the Institution/office in 03(three) copies.

5.3 Statement of contribution in 02(two) copies as Appendix-'C' will be sent to the University with monthly salary bill of the employee(s) by the head of the Institution/office.

राज्यपाल सचिवालय
बिहार, पटना-800022

विश्वविद्यालयों एवं उनके अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों में 01.09.2005 का या उसके बाद नियुक्त किए गए कर्मचारियों के लिए नई अंशदायी पेंशन योजना हेतु परिनियम

अध्याय—1

प्रारंभिक चरण

(1) संक्षिप्त शीर्षक विस्तार और प्रारम्भ :—

(i) यह परिनियम बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976, पटना विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के लिए नई अंशदायी पेंशन योजना परिनियम कहा जाएगा।

(ii) नई अंशदायी पेंशन योजना के नियमों का विस्तृत विवरण अध्याय 2 और 3 में उल्लेखित किया गया है।

(iii) इस परिनियम के प्रावधान दिनांक 01.09.2005 से प्रवृत्त समझे जाएंगे।

(2) आच्छादन/अनुप्रयोग :—

इस परिनियम के प्रावधान दिनांक 01.09.2005 या उसके पश्चात् नियुक्त विश्वविद्यालयों एवं उनके अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों के अध्यापकों, अधिकारियों और अन्य सभी कर्मचारियों पर लागू होगा, जिनकी नियुक्ति विहित प्रक्रिया के तहत राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत एवं अनुमोदित पदों पर नियमित रूप से की गयी है।

राज्यपाल सचिवालय
बिहार, पटना-800022

(3) **बहिष्करण / अनाच्छादन** :–

(i) यह परिनियम आकस्मिक, अनुबंध, नियत परिलब्धियों या दैनिक आधार पर नियुक्त कर्मचारियों तथा सेवानिवृत्ति के बाद नियत मानदेय पर नियुक्त कर्मियों पर लागू नहीं होगा।

(ii) इस परिनियम से आच्छादित कर्मी सेवांत लाभ के लिए राज्यपाल सचिवलाय के पत्रांक BSU-52/80-5285GS (1) दिनांक 18.11.1980 तथा पत्रांक BSU-52/80-2158GS (1) दिनांक 25.11.1982 द्वारा यथा संशोधित परिनियम के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगे। इसलिए उन्हे पुरानी पेंशन स्कीम के तहत पेंशन नहीं मिलेगी।

(iii) इस परिनियम के अन्तर्गत सामान्य भविष्य निधि योजना के अनुसार अंशदान करना स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(4) **परिभाषाएँ** :–

जब तक कोई बात, विषय या संदर्भ के विरूद्ध न हो इस परिनियम में;

(क) **"पी एफ आर डी ए"** से अभिप्रेत है, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 {अधिनियम 23, 2013}।

(ख) **"एन पी एस"** से अभिप्रेत है, नेशनल पेंशन सिस्टम।

(ग) **"एन एस डी एल"** से अभिप्रेत है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड।

(घ) **"सी आर ए"** से अभिप्रेत है, सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी।

(ङ) **"चांसलर"** से अभिप्रेत है, बिहार के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति।

(च) **"राज्य सरकार"** से अभिप्रेत है, बिहार सरकार।

राज्यपाल सचिवालय
बिहार, पटना-800022

(101)

(छ) **"विश्वविद्यालय"** से अभिप्रेत है कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976, पटना विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 अन्तर्गत मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय।

(ज) **"कुलपति"** से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय के कुलपति।

(झ) **"वित्तीय सलाहकार"** से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय के वित्तीय सलाहकार।

(ञ) **"रजिस्ट्रार"** से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार या विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए विधिवत रूप से नियुक्त कोई व्यक्ति।

(ट) **"वित्त पदाधिकारी"** से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का वित्त पदाधिकारी।

(ठ) **"वर्ष"** से अभिप्रेत है, वित्तीय वर्ष।

(ड) **"कर्मचारी"** से अभिप्रेत है, 01.09.2005 को या उसके बाद विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति, जिसमें शिक्षक, अधिकारी (संविदा अधिकारी छोड़कर) एवं कर्मचारी शामिल हैं।

(ढ) **"नियमित रूप में विहित प्रक्रिया से नियुक्ति"** से अभिप्रेत है राज्य सरकार के आरक्षण नीति के अनुसार पद के विधिवत् विज्ञापन के पश्चात् उचित चयन प्रक्रिया के तहत विहित अर्हताधारी व्यक्तियों की, की गई नियुक्ति;

(ण) **"परिलब्धियाँ"** से अभिप्रेत है, कुल परिलब्धियाँ जो एक कर्मचारी हर महीने वेतन के रूप में प्राप्त करता है अथव करता था।

(त) नई अंशदायी पेंशन योजना के प्रयोजन हेतु **"परिवार"** से अभिप्रेत है विधि द्वारा अनुमान्य 'परिवार' पति/पत्नी या पत्नियाँ, जो भी लागू हो, या अभिदाता के बच्चे अथवा पुत्र की विधवा इसकी परिधि में आयेंगे।

राज्यपाल सचिवालय
बिहार, पटना-800022

(100)

स्पष्टीकरण— एक गोद लिया बच्चा। अगर कुलपति कानून के तहत संतुष्ट है, तो भी उन्हें सब्सक्राइबर का बच्चा माना जाएगा।

(थ) "**फंड**" से अभिप्रेत है, कर्मचारी का अंशदान और राज्य सरकार की समतुल्य हिस्सेदारी।

(द) "**छुट्टी**" से अभिप्रेत है कि विश्वविद्यालय द्वारा मान्य किसी प्रकार की छुट्टी।

(ध) (i) इस परिनियम तथा उसके अधीन निर्मित नियम में "**वेतन**" से अभिप्रेत है किसी व्यक्ति द्वारा वेतन के रूप में आहरित की जाने वाली मासिक राशि जिसमें मंहगाई भत्ता वेतन, विशेष वेतन, व्यक्तिगत वेतन और प्रतिनियुक्ति वेतन शामिल हैं।

(ii) "**व्यक्तिगत वेतन**" से अभिप्रेत है, किसी कर्मचारी को दिया गया अतिरिक्त वेतन।

(क) स्थायी पद की स्थिति में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप मूल वेतन के नुकसान अथवा अनुशासनिक मामलों को छोडकर किसी अन्य नुकसान से बचने के लिए।

(ख) अपवादजनक परिस्थिति में किसी अन्य व्यक्तिगत कारण/कारणों को ध्यान में रखकर।

(प) "**विशेष वेतन**" से अभिप्रेत है किसी व्यक्ति के कर्त्तव्यों की कठिन प्रकृति अथवा उसके कार्य या उत्तरदायित्व में विशिष्ट अतिरिक्त वृद्धि को दृष्टिपथ में रखकर किसी पद के परिलब्धियों का वेतन के रूप में अतिरिक्त वृद्धि।

(फ) "**स्थायी सेवानिवृत्त खाता संख्या (पी आर ए एन)**" से अभिप्रेत है, केन्द्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी द्वारा प्रत्येक अभिदाता को आवंटित विशिष्ट पहचान संख्या।

राज्यपाल सचिवालय
बिहार, पटना-800022

(5) **सामान्य** :–

(क) इस परिनियम के तहत अनुज्ञेय लाभों के भुगतान की स्वीकृति और भुगतान की विधि को विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर प्रक्रियागत अनुदेशों द्वारा विनियमित किया जाएगा, जो इस परिनियम के प्रतिकूल न हो।

(ख) राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के संदर्भ में नई अंशदायी पेंशन योजना से संबंधित अपने नियमों में जब एवं जैसा संशोधन करेगी तो ऐसे संशोधन इस परिनियम में उसी तिथि को स्वतः शामिल समझे जाएंगे, जिस तिथि से राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मियों के लिए उसे प्रभावी किया जाएगा।

(6) **व्याख्या** :–

परिनियम के व्याख्या से संबंधित यदि कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो उसे कुलाधिपति के पास भेजा जाएगा, जिनका निर्णय, दिशा–निर्देश और स्पष्टीकरण अंतिम होंगे।

अध्याय–2

दिनांक 01.09.2005 या उसके बाद नियुक्त किये गये कर्मचारियों को नई अंशदायी पेंशन योजना के तहत सेवानिवृत्त लाभों को विनियमित करने हेतु नियमावली –

(2.1) राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत या अनुमोदित पद पर तिथि 01.09.2005 या उसके बाद नियमित रूप से नियुक्त विश्वविद्यालय के कर्मी इस नई अंशदान पेंशन योजना के तहत बनाये गये नियमों से शासित होंगे।

राज्यपाल सचिवालय
बिहार, पटना-800022

(2.2) विश्वविद्यालय को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड के साथ DTA, DTO और निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के रूप में निबंधित होना होगा।

(i) कुलपति को अनुश्रवण नोडल पदाधिकारी DTA के रूप में पंजीकृत होना होगा।

(ii) वित्त पदाधिकारी को निधि हस्तांतरण DTO के रूप में पंजीकृत होना होगा।

(iii) रजिस्ट्रार को डीडीओ के रूप में पंजीकृत होना होगा।

(2.3) विश्वविद्यालय नई अंशदायी पेंशन योजना (NCPS) के संचालन के लिए लेटर पैड पर अधिकृत व्यक्ति द्वारा विहित प्रपत्र भरकर हस्ताक्षर के साथ पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) को भेजेगा तथा इसकी प्रति नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL-CRA) को भेजा जाएगा।

(2.4) विश्वविद्यालय नई पेंशन योजना से संबंधित पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा निर्गत नियमों एवं विनियमों को स्वीकार करते हुए एक सहमति पत्र देगा।

(2.5) नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) यानि सेन्ट्रल रिकॉर्ड किपिंग एजेन्सी (CRA) नई पेंशन योजना के तहत आच्छादित होने वाले कर्मियों को नई पेंशन येाजना की सेवा प्रदान करने के लिए पंजीकरण, फंड ट्रास्फर और रिकॉर्ड का रख–रखाव हेतु बिल भेजेगी तथा संस्थान नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) यानि सेन्ट्रल रिकॉर्ड किपिंग एजेन्सी (CRA) को भुगतान करेगा।

(2.6) विश्वविद्यालय अभिदाता द्वारा भरा हुआ एवं हस्ताक्षरित प्रपत्र S-1 सीधे नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) यानि सेन्ट्रल रिकॉर्ड किपिंग एजेन्सी (CRA) को नई पेशन के तहत कर्मचारियों के पंजीकरण हेतु भेजेगा।

राज्यपाल सचिवालय
बिहार, पटना–800022

(2.7) विश्वविद्यालयों के कर्मियों के अंशदान की कटौती उनके वेतन से योगदान के अगले माह से प्रारम्भ होगी।

(2.8) विश्वविद्यालय कर्मियों के मासिक वेतन से मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते के योग की 10% राशि अंशदान के रूप में कटौती की जाएगी तथा उतनी ही राशि नियोक्ता के रूप में विश्वविद्यालय द्वारा अंशदान के रूप में दी जाएगी।

(2.9) पंजीकरण, फंड ट्रांसफर और रिकॉर्ड के रख–रखाव की प्रक्रिया वही होगी, जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित/अपनाया गया हो।

अध्याय–3

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत निकासी के उद्देश्य, आवृत्ति और सीमाएँ तथा बाहर होने के संबंध में।

(3.1) सेवा काल में तथा सेवानिवृति के पश्चात् निकासी के संदर्भ में PFRDA के अधिसूचित प्रावधान लागू होंगे।

(3.2) वार्धक्य सेवा प्रदाताओं से पेंशन खरीदगी संबंधी योजनाओं के संदर्भ में PFRDA के प्रावधान लागू होंगे।

(3.3) निकासी हेतु PFRDA द्वारा विहित आवेदन प्रपत्र पूरी तरह से कर्मचारी द्वारा भरा जाएगा और DDO और PAO के माध्यम से CRA-NSDL को भेजा जाएगा।

अध्याय–4

सामान्य भविष्य निधि और मृत्यु–सह–सेवानिवृत्त ग्रेच्युटी (उपदान) के संबंध में।

(4.1) दिनांक 01.09.2005 से अथवा उसके पश्चात् योगदान करने वाले किसी का अंशदान यदि सामान्य भविष्य निधि में किया गया है तो नेशनल सिक्योरिटिज

राज्यपाल सचिवालय
बिहार, पटना-800022

डिपॉजिटरी लिमिटेड सेंट्रल रिकॉर्डकीपींग एजेंसी में पंजीकरण के पश्चात् अंशदान राशि से संबंधित खाते में ब्याज सहित अद्यतनीकरण कर नई अंशदायी पेंशन योजना के परिनियम के अनुसार कर लिया जाएगा।

(4.2) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन नियमों के अनुसार मृत्यु–सह–सेवानिवृत्ति उपादान अनुमान्य होगी, जो वित्त विभाग मेमो नं० (27) पेंशन कोषांग to 67/2016/622 दिनांक 28.08.2017 के तहत नई अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को देय होगी।

अध्याय–5

विविध

(5.1) 50 पैसे और इससे ज्यादा को अगले रूपये में परिगणित किया जाएगा तथा 50 पैसे से कम को 10% के अंशदान की गणना के लिए ज्यों का त्यों छोड़ दिया जाएगा।

(5.2) नई अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत आच्छादित कर्मचारियों के बारे में प्रपत्र (परिशिष्ट B) के अनुसार वांछित सूचना विस्तृत रूप में 03 (तीन) प्रतियों में संस्थान/कार्यालय के प्रमुख द्वारा दी जाएगी।

(5.3) परिशिष्ट C के अनुसार 02 प्रतियों में अंशदान की विवरणी संस्थान/कार्यालय के प्रमुख द्वारा कर्मचारियों के मासिक वेतन विपत्र के विश्वविद्यालय को भेजा जाएगा।

राज्यपाल सचिवालय
बिहार, पटना-800022

RKVerma